10रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES Rs.10

10रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES Rs.10

526

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर संभागीय ग्वालियर मध्य -प्रदेश

राजस्व प्रकरण क्रमांक निगरानी-5386/2018/छतरपुर/भू.रा. सन् 2018

1-रज्जू पुत्री हरजू लोधी पत्नी कामता लोधी

निवासी ग्राम वदियन तहसील बड़ामलहरा जिला-छतरपुर

म0प्र0 ----- आवेदक/ निगरानीकर्ता

बनाम

1-जशोदा वेवा हरजू लोधी

निवासी ग्रामवदियन तहसील बड़ामलहरा जिला -छतरपुरम0प्र0

2-स्वामी तनय हरजू लोधी

निवासी ग्रामवदियन तहसील बड़ामलहरा जिलाछतरपुरम0प्र0

---------- अनावेदकगण

निगरानीअन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0संहिता

निगरानी विरूद्व न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग बड़ामलहरा के राजस्व प्रकरण क्रमांक 98/अपील/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 23•8•2018 से दुखित होकर ।

श्री क्षेमेन्द्र चतुर्वेदी द्वारा दिनांक 04.9.18 प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 07.9.18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट 4.9.18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

मान्यवर,

निगरानीकर्ता/आवेदक की ओर से निम्न निगरानी प्रस्तुत कर सादर विनय है :-

04/09/18

1- यह कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी द्वारा बिना आदेश के एवं बिना धारा 48 म0प्र0भू0रा0सं0 के आवेदन पत्र प्रस्तुत न करके अधीनस्थ न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई थी उक्त अपील उत्तरवादी क्रं•2 से उत्तरवादी क्रं•1 से मिलकर 15•10•1976 की अपील प्रस्तुत की गईथी व उक्त आदेश की नकल उत्तरवादीगण द्वारा प्राप्त नही की गई है और न ही धारा 48 म0प्र0भू0रा0सं0 का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है व सन् 1976 में उक्त आदेश तहसीलदार महोदय के यहां न्यायालय में प्रकरण में विचारण होने के कारण आदेश पारित कर दिये गये थे । जिसकी जानकारी उत्तरवादी क्रं•1व2 को भलिभांति थी क्योंकि निगरानीकर्ता के

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-5386/2018/छतरपुर/भू.रा.

रज्जू विरूद्ध जशोदा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18-02-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी बड़ामलहरा जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 98/अपील/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 23-08-2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । 2. पक्षकार दिनांक 15-04-2019 को कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । (आर.के. जैन) सदस्य 18/2/19	